

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**  
**अधिसूचना**

सं० सं० ..... डी०एल०ए० प० चम्पारण ..... रा० चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मंगलपुर काला, परगना -मझौवा, थाना-बेतिया (नौतन) जिला प० चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् - गोपालगंज-बेतिया के बीच गंडक नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुँच पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम -मंगलपुर काला न०-161 के भीतर कमोवश 32 बीघा 13 कठठा 17 धुर जो मानक माप 10.8075 एकड़ के बराबर होता है, एक भू-खंड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या -सूची 'क' है तथा इस भू-खंड की चौहदी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :-  
दक्षिण :-  
पूरब :-  
पश्चिम :-

} सूची 'ख'

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियन्ता, विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया पदाधिकारियों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश करके नक्शा तैयार करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध (2) में उल्लेखित कार्य अपने कार्य के अन्तर्गत निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर .....X..... एकड़ तथा कृषि योग्य 10.8075 एकड़ है तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

*B. S. S.*  
*4/11*

समाहर्ता

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*30/*  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक.....-2083/रा०/डी०एल०ए०, प० चम्पारण पटना, दिनांक -27-08-13

- प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना प्रारूप की 3 (तीन) प्रतियाँ सी० डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्र में जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजपत्र, प० चम्पारण बेतिया को जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कराने और इसकी पॉच अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र भेजने के लिए मेजी जाती है।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

*5/2*  
*28/8/13*  
सरकार के सचिव

मौजा - मंगलपुर कलकत्ता-461

पूर्ण खेसरा नं० - 98,106 एवं 848 तथा अंश खेसरा नं० 77,78,36,74,73,72,94,93,96,95,97,99,104,105,92,  
108,109,111,551,550,552,549,560,559,558,553,554,555,556,557,568,570,569,575,576,  
577,574,578,748,762,761,759,760,750,751,758,757,756,752,753,754,755,843,852,851,  
850,849 एवं 847 ।

चौहद्दी 'ख' (खण्ड 'क')

उत्तर :- मौजा मंगलपुर गुदरिया नं० 159 का सीमा रेखा।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं० 75 ।

पुरब :-

पश्चिम :- } अंश खेसरा नं० 77 एवं 76 ।

(खण्ड 'ख')

उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं० 75 ।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं० 107 एवं 103 ।

पुरब :- अंश खेसरा नं० 74,73,94,93,96,97,95,92 एवं 108 ।

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं० 71 एवं 100 अंश खेसरा नं० 36,73,72,94,95 एवं 104 ।

(खण्ड 'ग')

उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं० 110 एवं 112 तथा अंश खेसरा नं० 109 ।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं० 453 एवं 452 ।

पुरब :- पूर्ण खेसरा नं० 110 एवं 112 तथा अंश खेसरा नं० 111

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं० 107 एवं 103 ।

(खण्ड 'घ')

उत्तर :-

पुरब :- } पूर्ण खेसरा नं० 480,561,566,567,846,845 तथा अंश खेसरा नं० 560,559,558,555,556,557,  
554,568,569,576,577,578,748,761,760,759,750,751,752,753,754,843, 851,850,849,847

दक्षिण :-

पश्चिम :- } अंश खेसरा नं० 551,550,552,549,553,554,570,569,575,574,762,761,759,758,757,756,753,  
755,754,843,852,849 तथा मौजा मंगलपुर गुदरिया नं० 159 का सीमा रेखा।

28/04/12

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।